

Written by अशोकपांडेय
Sunday, 03 June 2018 12:21

होने के बाद अन्य वर्गों की सीटें कम करके उन्हें पछिड़ी वर्ग में शामिल कर दिया गया। वजिजापन में सामान्य के 3616 अनुसूचित जात के 2221 अनुसूचित जनजात के 235 और OBC के 566 पद बताए गए। लेकिन बाद में ओबीसी के लिए आरक्षण पदों की संख्या 2029 कर दी गई। इससे हुआ यह कि सामान्य वर्ग के पद 2515 और अनुसूचित जात के 1882 पद रह गए। अंतिम परिणाम जब आया तो ओवरलैपिंग करके ओबीसी के सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाकर 3116 हो गई। इसी परिणाम को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संशोधित करने का आदेश दिया। लेकिन आयोग सुप्रीम कोर्ट जाकर सुटे ले लिया यह मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

लोअर पीसी स 2008-2009 के अंकपत्र बहुत दिनों तक जारी नहीं किए गए। क्योंकि डॉ अनलि यादव ने अपने चहेतों के 50 में 35 से 38 नंबर तक साक्षात्कार में दे दिया। अगर अंकपत्र जारी होता तो आयोग के अध्यक्ष का एक और कला करनामा उजागर होना तय था। पीसी स -2013 से प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा केंद्र आवंटन की नई प्रणाली लागू की गई जिसमें मनमाने ढंग से केंद्रों का आवंटन कराया गया जिससे अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जा सके।

डॉ अनलि यादव के इशारों पर हर प्रारंभिक परीक्षा में 15 से 20 प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत रखे जाते थे। जिससे वह अपने लोगों को अनुचित लाभ पहुंचा सके। खैर इसका अनुसरण आज भी यूपीपी ससी के चेयरमैन कर रहे हैं। नजीर तत्कालीन उदाहरण पीसी स 2017 है।

पारदर्शिता के नाम से जाने जाना वाला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसे डॉ अनलि यादव ने 22 अप्रैल 2015 के प्रस्ताव के तहत अपारदर्शी बना दिया। अब चयनित अभ्यर्थियों के नाम व पता नहीं दिया जागा। केवल अनुक्रमिक व रजिस्ट्रेशन के आधार पर परिणाम घोषित किए जागे। इसके तहत अब खुलकर भ्रष्टाचार किया गया।

डॉ अनलि यादव ने तो आरटीआई कानून को भी मजाक बनाकर रख दिया था जब 2 प्रतियोगियों ने कही सत्र की मुख्य परीक्षाओं की कॉपी आरटीआई के माध्यम से देखनी चाही तो जहां कको बताया गया कि कप्रिया जला दी गई वही दूसरे को उसकी कॉपी दिखा दिया गया। आरटीआई के माध्यम से कोई सूचना मांगता तो आयोग के पास कही सूचना हमेशा होती कि यह सूचना अदेय है। यदि बहुत केशशि के बाद दी जाती तो वह अस्पष्ट और दगिभ्रमति होता था। खैर सलिसला आज भी जारी है।

प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि करीब 40 हजार सीधी भरतियों में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ। और आरक्षण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। सीधी भरती के ऐसे परिणामों के आयोग कुछ ही घंटों में अपनी वेबसाइट से हटा देता था ताकि लोगों को पता ना चल सके।

इनके कर्यकल के अंतरगत मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के स्वैनिग और मॉडरेट के आड़ में कखास जात के अभ्यर्थियों के अप्रत्याशति तौर पर फयदा पहुंचाया गया। वर्तमान समय में सीबीआई ने इस बात को अपने FIR में स्वीकार किया है। (□□□□□□ :)